न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (सहायक कलक्टर) नगर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः– विजेन्द्र कुमार मीना आरएएस

दावा सं011/2014

1. दीन मौहम्मद पुत्र मोती जाति मेव निवासी ग्राम नंगला श्याम,तहसील नगर जिला भरतपुर (राज0)

–सायल

बनाम

1. हुसैन
2. नसरू — पिसरांन कमलू
3. रिजवान
4. सलीम
5. इलियास — पिसरांन नबलू
6. समसू

जातियान मेव निवासी ग्राम नंगलाश्याम तहसील नगर जिला–भरतपुर

7. तहसीलदार एवं रजिस्ट्रार नगर ....गैरसायलान

w/s 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थित

1. श्री जाकिर हुसैन, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री अनिल गोयल अधिवक्ता अप्रार्थी

आदेश दिनांकः– 05.11.2020

प्रार्थी ने यह प्रार्थना–पत्र अपने मूल वाद के साथ इस आशय का प्रस्तुत किया है कि आ.ख.नं. 123/0.15 वाके ग्राम नगला श्याम तहसील नगर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की सह–काश्तकारी की आराजी है जिस पर सभी सम्मिलित रूप से काश्त करते चले आ रहे है। अब संयुक्त रूप से काश्त करना मुश्किल हो गया है। काश्तकरों के मध्य आज तक मीट्स एण्ड बाउण्डस बटवारा नहीं हुआ है, जब सायल ने गैर सायलान से बटवारा करने की कहा तो उन्होंने साफ इंकार कर दिया तथा दिनांक 19.01.2014 को धमकी दी है कि हम आराजी में निर्माण कर लेंगे तथा तुझे तेरे हिस्से से बंचित कर देंगे तथा दीगर लोगों को रहन वय मुंतकिल कर देंगे, यदि वे अपने इरादे में सफल हो गये तो सायल को असीम क्षति होगी। अंत में निवेदन किया है कि गैर सायलान को ताफैसला दावा अरथाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे आराजी को रहन वय व मुंतकिल न

Signature Not Verified
Digitally signed by Anurag Harit
Date: 2024.09.27 16:11:36 IST
Reason: SelfAttested

करें, कोई निर्माण नहीं करें, कब्जे काश्त सायल के किसी प्रकार मदाखास्त व मजाहमत न करें, राजस्व रिकार्ड व मौका की यथा स्थिति बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलव किया गया। अप्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 07.02.2014 को एक पक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की गई कि– "वे विवादित आ.ख.नं. 123/0.15 बाके ग्राम नगला श्याम तहसील नगर की मौके व रिकार्ड की यथा स्थिति कायम रखें।"

अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आ.ख.नं. 123/0.15 बाके ग्राम नगला श्याम तहसील नगर की बाबत एक बाद पत्र न्यायालय श्रीमान सिविल न्यायाधीश (क.ख.) नगर में विचाराधीन है। कानूनन जब विवादित जायदाद की बाबत पहले से ही दावा विचाराधीन हो तो ऐसी स्थिति में वर्तमान दावा व प्रा.पत्र धारा 10 सीपीसी के तहत काविल स्टे के है। सायल ने विवादित ख.नं. आ.ख.नं. 123 बाके ग्राम नगला श्याम तहसील नगर में से 3/15 हिस्सा गैर सायल नसरू, हुसैन, रिजवान को जरिए रजि. बयनामा वय कर प्रतिफल प्राप्त करके मौके पर कब्जा दे दिया तथा राजस्व रिकार्ड में इंद्राज भी हो चुके है तथा सायल की सहमति से हिस्सा विशेष पर गैर सायलान का कब्जा है। सायल को कोई विनाय मुखासमत पैदा नहीं होती है जिससे प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11(5) सीपीसी के तहत काविल खारिज है। विवादित जायदाद को बाबत सिविल न्यायाधीश (क.ख.) नगर एवं माननीय ए.डी.जे. साहब डीग के यहॉ से निर्णय भी गैरसायलान के पक्ष में हो चुके है। अंत में निवेदन है किया है कि प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस सुनी तथा पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। इस प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु तीन बिन्दुओं प्रथम दृष्ट्या प्रकरण सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णिया क्षति पर विचार करना है। नकल जमाबंदी सं. 2070–73 के खाता सं. 53 में ख.नं. 123/0.15 के बाबत–"दीन मौहम्मद पुत्र मोती 10/15 हिस्सा नसरू हुसैन रिजवान विस. कमलू 3/15 हिस्सा समीम, इलियास, समसू पिस नवलू 2/15 हिस्सा कौम मेव सा देह खातेदार" दर्ज होना पाया जाता है। इस प्रकार वि0आ0 प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की आराजी है तथा उसका आज तक विधिक रूप विभाजन नहीं हुआ है जिससे प्रत्येक हिस्सेदार का इंच इंच भूमि पर विधिक दृष्टि से कोमन पजेशन होता है। उक्त विवादित आराजी की बाबत मुकदमा सिविल न्यायालय में विचाराधीन होना उभय पक्ष ने स्वीकार किया है तथा प्रमाणित फोटो प्रति आदेश दिनांक 09.05.2013 में माननीय सिविल न्यायालय (क.ख.) नगर ने प्रार्थना अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व [illegible] बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया है तथा अपीलीय न्यायालय श्रीमान अ[illegible] एवं सैशन न्यायाधीश सख्या 2 डीग के आदेश दिनांक 16.01.2014 का अवलोकन करने पर पाया कि माननीय न्यायालय ने जैर अपील आदेश दिनांक 09.05.2013 की पुष्टि की है। सिविल न्यायालय

Signature Not Verified
Digitally signed by Anurag Harit
Date: 2024.09.27 16:11:36 IST
Reason: SelfAttested

द्वारा वि.आ. की बाबत पारित निर्णय इस न्यायालय पर वाध्यकारी है इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी अपने पक्ष में सावित करने में असमर्थ रहा है। इस प्रकार प्रार्थी का यह प्रार्थना–पत्र खारिज योग्य पाया जाता है।

अतः आदेश है कि

प्रार्थी दीन मौहम्मद का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है, तथा दिनांक 07.02.2014 को जारी एक पक्षीय अतंरिम अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज की जाती है।

(विजेन्द्र कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी (सहायक कलक्टर)
नगर (भरतपुर)

आदेश आज दिनांक 05.11.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विजेन्द्र कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी (सहायक कलक्टर)
नगर (भरतपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anurag Harit
Date: 2024.09.27 16:11:36 IST
Reason: SelfAttested